न्यायालय सत्र न्यायाधीश भदोही।
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–216 सन् 2026

CNR No– UPSN01–000664–2026

राजेश कुमार बिन्द बालिग पुत्र स्व० सुदामा बिन्द निवासी ग्राम छनौरा, थाना दुर्गागंज, जनपद भदोही। .....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र०राज्य। .....अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्या–09 सन् 2026
धारा–109(1),3(5),317(2),
317(4) बी.एन.एस.
थाना–ऊंज, जिला–भदोही।

आदेश

1. प्रार्थी/अभियुक्त बबलू कुमार की ओर से प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या–09 सन् 2026, धारा–109(1),3(5),317(2),317(4) बी.एन.एस., थाना–ऊंज, जिला–भदोही के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. फर्द बरामदगी के अनुसार संक्षेप में, अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 25.01.2026 को प्रभारी निरीक्षक अरविन्द कुमार चौहान मय अन्य पुलिस हमराहियान मय सरकारी वाहन रोकथाम जुर्म जरायम व तलाश अभियुक्त पतारसी सुरागरसी में सुभाष नगर बाजार में मौजूद था कि इसी दौरान उ०नि० दिनेश त्रिपाठी, मय अन्य सरकारी कर्मचारीगण वांछित अभियुक्तों की तलाशी के दौरान मुखबिर खास की सूचना के आधार पर सुभाष नगर बाजार से अइनछ में सुरियावां की तरफ से एक मोटरसाइकिल आती दिखायी दी, जिसे पुलिस बल द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, तो अभियुक्तगण सुभाषनगर की तरफ भागने लगे व अइनछ नहर से भागते हुए मीनापुर नहर पुलिया के पास पहुंचकर अनियंत्रित होकर गिर गये। तब चालक ने चिल्लाकर कहा कि ये पुलिस वाले हैं, राजेश कुमार बिन्द गोली मारो, नहीं तो सब पकड़े जायेंगे, इतने में उसने एक राउण्ड फायर कर दिया। गिरफ्तारी व आत्मरक्षार्थ प्रभारी निरीक्षक द्वारा अपनी सरकारी पिस्टल से एक व्यक्ति के कमर वाले हिस्से के नीचे एक राउण्ड फायर किया गया तो वह चिल्लाने लगा एवं हांथ उठाकर आत्मसमर्पण कर दिया। दूसरे व्यक्ति को भी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। पास पहुंचकर देखा गया तो एक व्यक्ति के दाहिने पैर में गोली लगी हुई थी। पकड़े गये दोनों व्यक्तियों के नाम पता पूंछने पर घायल व्यक्ति ने अपना नाम राजेश कुमार बिन्द पुत्र सुदामा बिन्द बताया व दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम बब्लू कुमार पुत्र हरीराम गौतम बताया, जिसकी जामा तलाशी से कोई शय बरामद नहीं हुआ। पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण द्वारा तथाकथित चोरी की घटना में संलिप्त होने व चोरी के सामानों इनवर्टर व बैट्री को कबाड़ी के यहां बेचने व रिश्तेदार संतोष कुमार बिन्द के यहां रखने की संस्वीकृति के आधार पर इस मामले में अभियुक्तगण राजेश कुमार बिन्द व बब्लू कुमार को नामजद करते हुए उनका नाम प्रकाश में लाया गया।

3. मैंने प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्कों को सुना एवं फर्द बरामदगी तथा अन्य अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया।

4. प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने आधार जमानत व उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कथन किया गया कि प्रार्थी निर्दोष है और रंजिशन झूठे मुकदमा में फंसाया गया है। प्रार्थी शहर गुजरात में रहकर प्राइवेट नौकरी कर रहा था और प्रार्थी अपने साले के लड़के के जन्मदिन पर आमंत्रित था, जिसमें वह गुजरात से चलकर उसके घर आया था और एस.ओ.जी. वाले प्रार्थी को वहां से ले जाकर के थाना ऊंज में दे दिये और थाना ऊंज द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध मुठभेड़ दिखाकर प्रार्थी के पैर में गोली मारकर फर्जी तरीके से चालान कर दिया। प्रार्थी के पास से कोई भी बैट्री बरामद नहीं हुई है। पुलिस आपराधिक इतिहास को बढ़ाने के लिये फर्जी तरीके से मुकदमा लाद रही है। फर्द पर जनता का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 26.01.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि प्रार्थी/अभियुक्त अन्य सहअभियुक्तगण के साथ चोरी की मोटरसाइकिल से जा रहा था। पुलिस पार्टी द्वारा रोकने का प्रयास करने पर पुलिस बल को जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर किया गया। पूछताछ के दौरान तथाकथित चोरी के कुछ इन्वर्टर एवं बैट्री को चलते–फिरते कबाड़ियों को बेचने व कुछ इन्वर्टर एवं बैट्री को रिश्तेदार संतोष कुमार बिन्द के पास रखना बताया। अभियुक्त अभ्यस्त अपराधी है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने का आग्रह किया गया।

6. अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 25.01.2026 को चोरी की मोटरसाइकिल से अन्य सहअभियुक्त के साथ जाते समय मीनापुर नहर पुलिया के पास पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास करने पर उन पर जान से मारने की नीयत से फायर करने व चोरी के कुछ इनवर्टर व बैट्री को चलते–फिरते कबाड़ियों को बेचने व कुछ इन्वर्टर एवं बैट्री को रिश्तेदार संतोष कुमार बिन्द के पास रखने तथा उसके कब्जे से बरामद होने का आरोप है।

7. पत्रावली एवं प्रपत्रों के अवलोकन से विदित है कि तथाकथित पुलिस पर फायरिंग की घटना, अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं उसके पास से बरामद चोरी के सामान के बावत तैयार की गयी फर्द का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नामित नहीं है। कथित फायरिंग की घटना में किसी पुलिस कर्मी को कोई चोट आना नहीं बताया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से दर्ज करायी गयी है जबकि मामले में वादी मुकदमा पुलिस पार्टी है। मामले में सहअभियुक्त बबलू कुमार की जमानत स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा किस प्रकार से अभ्यस्तः चोरी की संपत्ति का व्ययन किया जाता है, यह भी स्पष्ट नही है। पत्रावली पर इस आशय का भी कोई

साक्ष्य उपलब्ध नही है कि प्रार्थी/अभियुक्त को इसके पूर्व किसी मामले में दण्डित किया गया हो। अभियुक्त दिनांक 26.01.2025 से जिला कारागार में निरुद्ध है।

8. मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत गुणदोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना जमानत का आधार उचित प्रतीत होता है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त राजेश कुमार बिन्द की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उसे मु० 50,000/–रुपये का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू निम्न शर्तों के अधीन सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरुप प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाय।

1. प्रार्थी/अभियुक्त दौरान विचारण स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रत्येक नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा ।
2. प्रार्थी/अभियुक्त गवाहों को न तो डरायेगा, न धमकायेगा और न उन्हें किसी तरह का प्रलोभन देकर साक्ष्य को प्रभावित करेगा ।
3. प्रार्थी/अभियुक्त आरोप विरचन, धारा–351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान तथा अन्य न्यायिक कार्यवाही के दौरान नियत दिनांक को सम्बन्धित न्यायालय में व्यक्तिगत रुप से उपस्थित रहेगा ।

9. चूंकि अभियुक्त जेल में निरूद्ध है। अतः इस जमानत आदेश की प्रति जरिए ई–मेल अधीक्षक जिला कारागार ज्ञानपुर को अनुपालन हेतु प्रेषित की जाए।

दिनांक –11.03.2026

(अखिलेश दूबे)
सत्र न्यायाधीश
भदोही
JO Code NO.–UP 5725

Digitally signed by AKHILESH DUBEY
Date: 2026.03.11 17:49:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court